

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 459/2025

श्री प्रवीण नायक पुत्र रणजीत नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, वार्ड नं० 12, मण्डावा, तहसील
मण्डावा, जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 27.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 459/2025 पर दिनांक 31.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4811-812 दिनांक 31.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू०अ०/रीडर/2025/1028 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री प्रवीण नायक निवासी वार्ड नं० 12, मण्डावा का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 13.11.2025 द्वारा निःशुल्क रजिये स्पीड पोस्ट भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी की ओर से वकील श्री कुर्बान अली उपस्थित। वकील प्रार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू०अ०/रीडर/2025/1028 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री प्रवीण नायक निवासी वार्ड नं० 12, मण्डावा का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 13.11.2025 द्वारा निःशुल्क रजिये स्पीड पोस्ट भिजवा दी गई है। चूंकि वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उन्हे सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं